न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2015/89

1. कालूराम पुत्र स्व0 मंगला (मृतक)

   1/1 प्रेम देवी पत्नी स्व0 कालूराम

   1/2 रमेश चन्द पुत्र स्व0 कालूराम

   1/3 मेनका पुत्री स्व0 कालूराम

   1/4 जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 कालूराम

   1/5 सुनिता पुत्री स्व0 कालूराम

   1/6 जीवराज पुत्र स्व0 कालूराम

   समस्त जाति खटीक निवासी खटीको का मोहल्ला, ग्राम महलां तहसील दूदू/मौजमाबाद जिला जयपुर।

2. हनुमान उर्फ दिनेश पुत्र स्व0 रामस्वरूप पुत्र मंगला
3. मु0 चांवली धर्मपत्नि स्व0 रामस्वरूप पुत्र मंगला

   समस्त जाति खटीक, समस्त निवासीयान खटीकों का मौहल्ला, पटवार भवन के पीछे ग्राम महला तहसील दूदू जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

1. जौहरी लाल पुत्र स्व0 कानाराम
2. धापूदेवी पत्नि स्व0 कानाराम
3. गोपल पुत्र अमरचन्द
4. सूरज पुत्र अमरचन्द
5. कैलाश पुत्र अमरचन्द
6. अनिता पत्नि स्व0 अमरचंद समस्त जाति खटीक निवासी वार्ड नंबर 9 खटीकों का मोहल्ला ग्राम बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal

Date: 2023.01.05 16:29:08 IST

Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

7. सम्पत्ति पुत्री स्व0 कानाराम पत्नी स्व0 श्री राधाकिशन सांभरिया निवासी ग्राम पहाडीया मु0पो0 माजी रेनवाल, तहसील फागी जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9. सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

निर्णय दिनांकः 23.12.2022

वादीगण ने एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर 149/429 रकबा 10 बीघा ग्राम श्योसिंहपुरा (नि. उंती रामपुरा) तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसका काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार वादी संख्या 1 का पिता वादी संख्या 2 का दादा व वादीया संख्या 3 का ससुर मंगला पुत्र किशना खटीक राजस्व भू अभिलेख में दर्ज चला आया है। तहसील सांगानेर जिला जयपुर में हुए हाल भू–प्रबंध में उक्त आराजी खसरा नंबर 149/429 रकबा 10 बीघा का नवीन खसरा नंबर 353 रकबा 2.60 हैक्टेयर बनाकर वास्तविकता के अनुसार साबिक राजस्व रिकॉर्ड व कब्जेकाश्त के अनुसार खातेदारी वादीगण के पूर्वज मंगला के नाम से मिसल बंदोबस्त व तत्पश्चात राजस्व जमाबन्दी में दर्ज की गई है। साबिक खसरा नंबर 149/429 रकबा 10 बीघा से बनाये गये हाल खसरा नंबर 353 रकबा 2.60 पर मंगला अपने जीवन काल तक व उसके स्वर्गवास के पश्चात मंगला के वारिसान वादीगण आज दिन तक उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर एवं प्राकृतिक उपज का उपयोग व उपभोग कर लाभान्वित होते एवं लगान सरकार को अदायगी करते चले आ रहे है। वर्तमान सेटलमेन्ट द्वारा हाल खसरा नंबर 353 रकबा 2.60 हैक्टेयर की मिसल बन्दोबस्त बनानें [illegible] जमाबन्दी बनाने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व उ[illegible] पूर्व[illegible]री स्व0 काना ने राजस्व कारकूनान से साज व षडयंत्र रचकर वादीगण [illegible]र्वज स्व0 मंगला के नाम से दर्ज खातेदारी की उक्त [illegible] रकबा 2.60 हैक्टेयर में से बदर संख्या 59 के द्वारा खसरा नंबर 353/871 रकबा 1.10 हैक्टेयर कायम कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:29:08 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वाधिकारी कानाराम पुत्र बीजाराम के नाम से अनुचित, अवैध रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाली व इसी प्रकार बदर संख्या 22 के द्वारा उक्त खसरा नंबर 353 में से खसरा नंबर 353/837 रकबा 0.19 हैक्टेयर कायम कराकर सिवायचक लगानी में अनुचित व अवैध रूप से दर्ज करवा दी। हाल खसरा नंबर 353 के रकबे में से कम कर बनाये गये पुनः नवीन खसरा नंबर 353/871 रकबा 1.10 हैक्टेयर व 353/837 रकबा 0.19 हैक्टेयर की आराजीयात ही प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त है। वर्तमान भू–प्रबन्ध विभाग ने वादीगण के पूर्वज मंगला के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी साबिक खसरा नंबर 149/429 का नवीन खसरा नंबर 353 रकबा 2.60 हैक्टेयर वास्तविकता के अनुसार कब्जे काश्त को मध्य नजर रखते हुये बनाकर वादीगण के पूर्वज मंगला की खातेदारी में राजस्व भू अभिलेखों में अंकित व दर्ज रिकॉर्ड किया है तथा हाल खसरा नंबर 353 रकबा 2.60 हैक्टेयर साबिक खसरा नंबर 149/429 से ही बना है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 व उनके पूर्वज कानाराम ने राजस्व कारकूनान से साजकर जरिये बदर पत्रावली संख्या 63 दिनांक 18.11.95 के आधार पर बदर संख्या 59 व 22 के द्वारा उक्त खसरा नंबर 353 से नवीन खसरा नंबर 353/871 रकबा 1.10 हैक्टेयर कायम कराकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वाधिकारी कानाराम के नाम से व बदर संख्या 22 के द्वारा नवीन खसरा नंर 353/837 रकबा 0.19 हैक्टेयर कायम कराकर सिवायचक लगानी दर्ज करवाई है जो कतई अनुचित, अवैध व क्षेत्राधिकारी विहीन कार्यवाही है। प्रथम तो दिनांक 18.11.1995 का कोई आदेश ही नहीं है द्वितीय यदि कोई आदेश है तो वो बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है जो प्रारम्भ से ही एबिन इश्यो नल एण्ड वोईड है तथा उसके आधार पर कायम बदर संख्या 59 व 22 भी एबिन इश्यो वोईड है। जिनसे कानूनन वादीगण की खातेदारी समाप्त नहीं होती है न हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व उनके पूर्वाधिकारी कानाराम ने राजस्व कारकूनान से साजकर वादीगण के पूर्वज मंगला की साबिक खातेदारी की आराजी के समतुल्य रकबे की पूर्ति करने के उद्वेश्य से हाल खसरा नंबर 356 रकबा 0.63 है0, खसरा नंबर 361/801 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 358/824 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 357 रकबा 0.17 है0 खसरा नंबर 350/872 रकबा 0.15 है0 की खातेदारी राजस्व भू अभिलेखों में वादी के पूर्वाधिकारी मंगला के नाम से अनुचित व अवैध रूप से दर्ज कर दी है। अनुचित व अवैध रूप से साबिक से विपरित जाकर इन नंबरों की साबिक खसरा नंबर 149/429 से बनना मिलान क्षेत्रफल में दर्ज कर दिया है जबकि इस आराजीयात से वादीगण का कोई लेना देना, हक, अधिकार कब्जा नहीं है। राजस्व कारकूनान द्वारा की

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:29:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

गई उक्त कार्यवाही भी अनुचित व अवैध होने के साथ साथ एबिन इश्यो नल एण्ड वोईड है। हाल ही में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 द्वारा वादीगण के कब्जेकाश्त की वादग्रस्त भूमि को अपनी होना बताने पर वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले निकलवाई जिससे वादीगण को प्रतिवादीगण के नाम से वादीगण की खातेदारी का गलत अंकन होने का ज्ञान हुआ जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 को वादग्रस्त आराजी की खातेदारी दुरूस्त कराकर वादीगण के नाम से दर्ज करवाने हेतु दिनांक 03.09.2015 को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 ने वादग्रस्त की खातेदारी वादीगण के नाम से दुरूस्त कराने से इन्कार कर दिया तथा शीघ्र से शीघ्र वादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करने की धमकी दी है जिस कारण वादीगण को प्रस्तुत वाद बाबत् इन्द्राज, दुरूस्ती, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को निम्न दादरसीया प्रदान की जावें वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर व इंद्राज दुरूस्ती व घोषणा इस आशय की प्रदान की जावे कि वादीगण आराजी खसरा नंबर 353/871 रकबा 1.10 है0 व 353/837 रकबा 0.19 हैक्टेयर वाकै ग्राम श्योसिंहपुरा (नि रामपुराउंती) तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पांबद किया जाये कि वो वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त एवं दीगर प्रत्येक प्रकार के उपयोग व उपभोग में मजाहमत, व मदाखलत पैदा न करें व वादीगण को बेदखल करने का कृत्य करे। न कृषि से अकृषि में परिवर्तन कराने का प्रयास करें, न हरे पेड़ो को काटे व वादग्रस्त आराजी को विक्रय व हस्तान्तरण नहीं करें। उक्त कृत्य प्रतिवादीगण न स्वंय कारित करें न औरो से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से पैरोकार सर[illegible]। विचाराधीन वाद में प्रतिवादी 1 लगायत 7 व 9 [illegible] सूचना अनुपस्थि[illegible]ने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

शेष प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश न[illegible] किये जाने पर जवाब दावा का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वादी की

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:29:08 IST
Reason: SelfAttested

ओर से साक्ष्य कालूराम पुत्र स्व0 मंगला, रामनिवास पुत्र श्री प्रभूनारायण पेश किये गये। तत्पश्चात वाद में बहस वादपत्र वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद में अंकन की वर्तमान भू-प्रबन्ध विभाग ने वादीगण के पूर्वज मंगला के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी साबिक खसरा नंबर 149/429 का नवीन खसरा नंबर 353 रकबा 2.60 हैक्टेयर वास्तविकता के अनुसार कब्जे काश्त को मध्य नजर रखते हुये बनाकर वादीगण के पूर्वज मंगला की खातेदारी में राजस्व भू अभिलेखों में अंकित व दर्ज रिकॉर्ड किया है तथा हाल खसरा नंबर 353 रकबा 2.60 हैक्टेयर साबिक खसरा नंबर 149/429 से ही बना है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 व उनके पूर्वज कानाराम ने राजस्व कारकूनान से साजकर जरिये बदर पत्रावली संख्या 63 दिनांक 18.11.95 के आधार पर बदर संख्या 59 व 22 के द्वारा उक्त खसरा नंबर 353 से नवीन खसरा नंबर 353/871 रकबा 1.10 हैक्टेयर कायम कराकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वाधिकारी कानाराम के नाम से व बदर संख्या 22 के द्वारा नवीन खसरा नंर 353/837 रकबा 0.19 हैक्टेयर कायम कराकर सिवायचक लगानी दर्ज करवाई है जो कतई अनुचित, अवैध व क्षेत्राधिकारी विहीन कार्यवाही है। अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर व इंद्राज दुरूस्ती व घोषणा की जावे कि वादीगण आराजी खसरा नंबर 353/871 रकबा 1.10 है0 व 353/837 रकबा 0.19 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्कार है।

वादीगण के वाद में वर्णित उपरोक्त कथनो से स्पष्ट है कि वादीगण ने भू-प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट की गई बदर कार्यवाही को चैलेन्ज किया है व खसरा नंबर 353/871 रकबा 1.10 है0 व 353/837 रकबा 0.19 हैक्टेयर की घोषणा चाही है। वादीगण को अपने वाद में साबित करना था कि वादीगण के साबिक खसरा नंबर 149/429 से खसरा नंबर 353 बने है लेकिन वादीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि वादीगण के साबिक खसरा नंबर 149/429 से खसरा नंबर 353 बने है। ना ही वादीगण यह साबित कर पाये है कि हाल खसरा नंबर 353/871 व 353/837 वादीगण के साबिक खसरा नंबरो से बने है और उक्त वादग्रस्त खसरा नंबर की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम गलत अंकित की गई है। जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि वादीगण के साबिक खसरा नंबर 149/429 रकबा 10 बीघा के नये नंबर 353, 356, 361/801, 357, 350/872, 358/824 रकबा 2.50 हैक्टेयर कायम किये गये है जो वर्तमान में वादीगण की

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:29:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है जो प्रदर्श–4 से स्पष्ट है वादीगण के साबिक खसरा नंबर का रकबा व हाल खसरा नंबर का रकबा भी समान है उसमें वादीगण की जमीन में कोई कमी नही की गई है। ऐसे में वादीगण ने अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्वेश्य से यह वाद प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार किया जाना कतई न्यायोचित नही है।

अतः वादीगण का वाद अपोषणीय होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:29:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–।। (आर.ए.एस.)**

कालूराम वगै. **बनाम** जौहरीलाल वगै.

मुकदमा नम्बर – दावा/89/2015

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–।। व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद अपोषणीय होने से खारिज किया जाता है। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत .....

..... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ..... फीसदी

सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....

अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.12.2022 को जारी की गई

मुहर

दस्तखत .....

सहायक कलक्टर

ओहदा जयपुर शहर (द्वितीय)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान		00			

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:29:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner